फाइल सं0 15-08/जीए/2015-16/एफएसएसएआई
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
(पीसीएवंजीए प्रभाग)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

14 मार्च 2016

06 नवम्बर, 2015 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के खाद्य प्राधिकरण की आयोजित 19वीं बैठक के कार्यवत्त

दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की खाद्य प्राधिकरण की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 27 जनवरी, 2016 में इसकी 20वीं खाद्य प्राधिकरण की बैठक में स्वीकार किया गया।

2. तदनुसार, इसके कार्यवृत्त को वेबसाईट पर अपलोड किया जा रहा है।

सुमेर सिंह मीणा
सहायक निदेशक, (सा.प्रा)

संलग्न-19वीं खाद्य प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त (नौ पृष्ट)।

दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को प्रात: 11 बजे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के खाद्य प्राधिकरण की आयोजित 19वीं बैठक के कार्यवृत्त।

दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को प्रात: 11 बजे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आशीष बहुगुणा की अध्यक्षता में खाद्य प्राधिकरण की 19वीं बैठक का आयोजन एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में किया गया। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची अनुबंध पर दी गई है। अनुपस्थित सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति दी गई जो इस बैठक में भाग नहीं ले सके। श्री राकेश चन्द्र शर्मा, निदेशक, (सामान्य प्रशासन) भाखासंमाप्रा ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा इसके बाद बैठक की कार्यसूची के मदों पर चर्चा प्रारंभ की गई।

क.स्थाई मद

मद सं.1: हितों की घोषणा

कार्यवाई शुरु करने से पूर्व, सभी उपस्थित सदस्यों से किसी विशेष कार्यसूची जिस पर कि इस बैठक में चर्चा की जानी है के संबंध में यदि हो तो "विशेष हितों की घोषणा" पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। यहां पर यह भी स्पष्ट किया गया कि सदस्यों के द्वारा वार्षिक हितों की घोषणा पर हस्ताक्षर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रथम बैठक में करवाये जाएंगे तथा बाद की बैठकों में सिर्फ विशेष हितों की घोषणा ही परिपत्रित की जाएगी।

मद संख्या.2:

प्राधिकरण की 4 सितम्बर, 2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

1. श्री वी.के.ठक्कर ने उल्लेखित किया कि उन्होनें 17वीं एवं 18वीं बैठक के कार्यवृत्तों के बारे में लिखित टिप्पणियां दी थी उनको इस संशोधित कार्यवृत्त में शामिल नहीं किया गया है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जहां तक उनको याद है, 17वीं बैठक के कार्यवृत्तों तथा श्री ठक्कर जी के लिखित टिप्पणियों को तत्कालीन अध्यक्ष महोदय के पास भेजा गया था, बैठक के कार्यवृत्त बैठक में किये गये विचार विमर्श के अनुसार ही हैं, तद्नुसार श्री ठक्कर जी के अनुरोध को ठुकरा दिया गया तथा प्राधिकरण की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त को जैसा कि परिपत्रित किया गया था, अनुमोदित किया गया ।

2. जहां तक 18वीं बैठक का प्रश्न है, यह सूचित किया गया कि जो अनुरोध श्री वी.के ठक्कर जी, श्री अबुल कलाम जी, सुश्री मीतू कपूर तथा श्रीमती श्रेया पाण्डेय से प्राप्त हुआ था, उन अनुरोधों पर विचार किया गया तथा जहां भी संभव हुआ है, इन अनुरोधों को शामिल किया गया है तथा तद्नुसार सदस्यों को अवगत किया जा चुका है।

3. इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि यदि कोई और भी मतभेद है तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए और कार्यवृत्त में चर्चा का सार सत्यता के आधार पर दर्ज किया जाना चाहिए।

4. यह भी निर्णय लिया गया कि सभी सदस्य 19वीं बैठक के कार्यवृत्त के बारे में अपने सुझाव 3

कार्यदिवसों में प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. उक्त विचार विमर्श के पश्चात प्राधिकरण ने 18वीं बैठक के कार्यवृत्तों को जैसा कि परिपत्रित किये गये थे उनको अनुमोदित किया।

मद संख्या 3.

18वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

1. कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को सदस्यों के द्वारा नोट किया गया। श्री वासु देव ठक्कर जी ने कहा कि एटीआर के मदसंख्या 18.11 के बारे में उन्हें कुछ संदेह है जो कि उत्पाद अनुमोदन पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट की कानूनी वैद्यता से संबंधित है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कार्यदल की रिपोर्ट की प्रकृति मात्र सिफारिशी है तथा यह खाद्य प्राधिकरण के लिए महत्वपूर्ण सुझाव के रुप में उपयोगी होगी। उत्पाद अनुमोदन के विनियम का प्रारुप प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र ही इसे प्राधिकरण के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

2. कार्यसूची के मद संख्या 18.18 के संबंध में, श्री वी.के.ठक्कर जी ने यह इच्छा प्रकट की कि वे मैगी नूडल्स केस में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एसएलपी दाखिल करने की प्रक्रिया में हुई प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस संबंध में फाईल उनके पास है, इस पर श्री ठक्कर जी ने यह पूछा कि इस संबंध में यदि देरी होती है तो इस के लिए जिम्मेदार कौन होगा, इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस के लिए जिम्मेदारी मेरी होगी।

3. कार्यसूची के मद संख्या 18.19 के संबंध में, सदस्यों को यह सूचित किया गया कि खाद्य प्राधिकरण तीन नये विनियम के प्रारुप तैयार कर रही है जो कि 1. आयात विनियम 2. सलाहपत्रों को जारी करने के विनियम 3. उत्पाद अनुमोदन विनियम हैं। श्री वी.के.ठक्कर ने अपनी राय देते हुए कहा कि कोई भी सलाहपत्र माननीय उच्चतम न्यायाल के आदेशानुसार जारी नहीं किया जा सकता है। इस पर यह बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिर्फ भाखासंमाप्रा की बोम्बे उच्च न्यायालय के उत्पाद अनुमोदन पर सलाह को रद्द करने के निर्णय के खिलाफ लगाई गई अपील को खारिज किया है। वास्तव में, इस मामले की सुनवाई कर रहे तीनों न्यायाधीशों के भाखासंमाप्रा के पास सलाह जारी करने की शक्ति के मामले पर अलग अलग विचार थे। प्राधिकरण खाद्य संरक्षा कानून की धारा 92 के अधीन आने वाले मामलों के लिए एक विनियम बनाने का प्रस्ताव करती है तथा अन्य मुद्दों को सलाह पत्रों के द्वारा हल तब तक किया जाए जब तक कि इस संबंध में विनियम नहीं बन जाता है।

4. कार्यसूची के मद संख्या 18.20 के संबंध में, श्री ठक्कर ने कहा कि जो सूचना उनहोंने प्राधिकरण कार्यालय से मांगी थी वह उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने उन्हें भरोसा दिलाया कि कानून के अनुसार तथा जब वे इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करेंगे तो उन्हें सूचना दे दी जाएगी ।

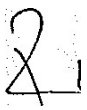

5. कार्यसूची के मद संख्या 18.21 के संबंध में, सुश्री मीतू कपूर ने यह अनुरोध किया कि विश्लेषण पद्दति के मैन्युअल में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के नमूनों को भी शामिल किया जाए। इसके जवाब में यह सूचित किया गया कि अलग से एक नमूनों पर सामान्य दिशानिर्देशिका तैयार की जा रही है। अध्यक्ष महोदय ने इस पर कहा कि सभी मैन्युअलों के तैयार होने की प्रतिक्षा करने से अच्छा यह है कि जैसे जैसे एक एक मैन्युअल तैयार होता जाए उसे वैसे ही अंगीकृत कर लिया जाए।

6. कार्यसूची के मद संख्या 18.22 के संबंध में, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उपसमिति को शीघ्रता से इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इस पर श्री कुमार अनिल, सलाहकार, मानक ने यह बताया कि समिति की बैठक वैज्ञानिक पैनल एंव वैज्ञानिक सिमति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए नवम्बर माह में आयोजित होने जा रही है।

7. यह निर्णय लिया गया कि जो एटीआर प्राधिकरण के समक्ष रखे गये थे उन्हें नोट किया हुआ माना जाएगा।

मद संख्या -4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

सदस्यों के मध्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतियां परिपत्रित की गईं। रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के दौरान, अध्यक्ष महोदय एवं मु.का.अ महोदय ने अन्तिम बैठक के पश्चात भाखासंमाप्रा के द्वारा की गई गतिविधियों पर प्रकाश डाला। सदस्यों ने रिपोर्ट को नोट किया।

यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण को श्री वाई.एस.मलिक जी को उनके कार्यकाल के दौरान शुरु किये गये कार्य आचार नीति, पहलों, गतिशीलता इत्यादि के लिए धन्यवाद तथा प्रशंसा करनी चाहिए।

नियमित कार्यसूची मद

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के पश्चात, नियमित कार्यसूची मदों पर निम्नानुसार चर्चा की गई-

मद संख्यसा. 19.1- भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के भर्ती एंव नियुक्ति विनियम, 2015 का प्रारुप अधिसूचना

श्री वी.के.ठक्कर ने यह सुझाव दिया कि प्रारुप विनियमों की समीक्षा हेतु एक उप-समिति का गठन विशेषकर अस्थायी कर्मचारियें को स्थाई समामेलन के लिए किया जाए। इस पर यह बताया गया कि उक्त प्रारुप विनियम को पहले भी प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। फिर भी कुछ सदस्यों के द्वारा यह महसूस किया गया कि उक्त प्रारुप के कुछ प्रावधान खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 से असंगत हैं। इसलिए, यह मामला स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास भेजा गया था। कानून मंत्रालय से सलाह मशविरा के बाद, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि ये अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप हैं। तद्नुसार, प्राधिकरण के समक्ष अन्तिम प्रारुप विचार विमर्श के लिए रखा गया। इस प्रारुप पर प्राप्त टिप्पणियों एवं सुझावों पर प्रारुप को अन्तिम रुप देने से पूर्व विचार किया जाएगा। श्री ठक्कर ने उक्त प्रारुप पर अपनी सहमति

व्यक्त की जिस पर अन्य सदस्यों ने भी अपना समर्थन दिया। परन्तु बाद में, श्री ठक्कर से अपनी असहमती लिखित में दर्ज कराने को कहा।

2. तत्पश्चात, प्राधिकरण ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के भर्ती एवं नियुक्ति प्रारुप विनियम, 2015 को प्रकाशन के लिए अनुमोदित किया।

कार्यसूची मद संख्या. 19.2-
कीटनाशकों की अधिकतम उपयोग सीमा (एमआरएल) निर्धारित करना

खाद्य प्राधिकरण ने इस मद पर विचार किया तथा खाद्य वस्तुओं में कीटनाशकों के अधिकतम उपयोग की सीमा पर गठित समिति की अनुशंसाओं पर अपना अनुमोदन दिया। फिर भी, सुश्री मीतू कपूर ने यह उल्लेख किया कि कुछ कीटनाशकों के एमआरएल कोडेक्स की तुलना में अधिक कठोर हैं। अध्यक्ष महोदय ने सुश्री मीतू कपूर से इन तथ्यों का तुलनात्मक विवरण में प्रस्तुत करने को कहा।

कार्यसूची मद संख्या. 19.3-
केरेमल का प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रंग का वर्गीकरण

खाद्य प्राधिकरण ने इस मद पर विचार किया तथा समिति की केरेमल के संबंध में वर्गीकरण को खाद्य सरंक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य, 2011) अर्थात विनियम 3.1.2(।)(घ) के अनुसार केरेमल का वर्गीकरण एक प्राकृतिक रंग के रुप में पुर्नस्थापित करने की अनुशंसा पर अपनी सहमती प्रदान की ।

कार्यसूची मद संख्या. 19.4-
केसरी दाल के सुरक्षित उपभोग का मूल्यांकन/निर्धारण /केसरी दाल के उपभोग पर

1. खाद्य प्राधिकरण ने इस मद पर चर्चा की तथा यह पाया कि पूरे देश में इसे मात्र 0.48 मिलियन हेक्टेयर में विशेषकर महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ में ही उगाया जाता है। इसके बावजूद भी इसकी बिक्री एवं भण्डारण पर प्रतिबंध है। हालांकि वैज्ञानिक समिति अभी तक केसरी दाल के सुरक्षित उपभोग के संबंध में किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसने यह सुझाव दिया कि कम विषाक्त किस्मों पर प्रतिबंध हटाने से पूर्व आईसीएआर के विचार भी लिये जाने चाहिए जिसके बाद इस मामले पर अन्य सहभागीयों के साथ मिलकर पुर्नविचार किया जाए। आईसीएमआर की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति का इस मामले पर यह विचार हैं कि केसरी दाल की बिक्री एंव भण्डारण पर प्रतिबंध जारी रखने का कोई भी कारण नजर नहीं आता है क्यों कि इस का उपभोग बहुत ही सीमित है, यह कम विषैली किस्म की तथा उच्च प्रोटीन की मात्रा से रहित होते हुए पानी के उपयुक्त इस्तेमाल वाली है। डॉ. टोटेजा के द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार गत 20 वर्षों में केसरी दाल के उपभोग के कारण लेथरिज़्म हो जाने के कोई भी सबूत नहीं पाए गए हैं। प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंची कि लैथिरस सैटिवस किस्म जिसमें ओडीएपी की मात्रा बहुत कम होती है अर्थात रतन (रियो एल 212), प्रतीक (एलएस 157-14) तथा महातिओरा पर से प्रतिबंध हटाया जा सकता है तथा कृषि मंत्रालय से अनुरोध किया जाए कि वह उच्च ओडीपीए फसल के स्थान पर निम्न ओडीपीए की कृषि को बढावा दे। सीएसी ने इस विचार पर अपना समर्थन दिया।

कार्यसूची मद संख्या. 19.5

पैक पेयजल के मानकों में परिवर्तन

खाद्य प्राधिकरण ने इस मद पर चर्चा की तथा प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति की पैकेज्ड पेयजल के मानकों की समीक्षा पर की गई अनुशंसाओं पर सहमति दी की जो जल आधारित उत्पाद मानव उपभोग के लिए नहीं हैं वे लैबलिंग के प्रावधानों के बिना लागू होंगे।

कार्यसूची मद संख्या. 19.6-
चाय में लौहतत्व भरना

1. कार्यसूची के मद पर प्राधिकरण ने चर्चा की तथा प्राधिकरण ने इस मद के अन्तर्गत वैज्ञानिक समिति की अनुसंशाओं जिसमें लौह तत्व 150 टीयूजी/किग्रा तक चाय में उपयोग करने की अनुमति को स्वीकृत करने का संकल्प लिया। आगे, यह सुझाव दिया गया कि खाद्य प्राधिकरण अन्य देशों के द्वारा निर्यात की जा रही चाय में लौह तत्व की अधिकतम अनुमत सीमा के आंकडे एकत्रित करे।

कार्यसूची मद संख्या. 19-7-

खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार की अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के प्रारुप अधिसूचना में परिवर्तन

खाद्य प्राधिकरण ने इस मद पर चर्चा की तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार की अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 में कुल बिक्रि सीमा को 12 लाख रुपसे से बढाकर 25 लाख रुपये करने एवं लघु खाद्य उद्यमों को इस से बाहर रखने के परिवर्तन प्रस्ताव पर सैद्दांतिक मंजूरी प्रदान की।

श्री वी.के.ठक्कर ने यह प्रस्ताव किया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार की अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के मद संख्या पांच की अनुसूची एक में वर्णित खाद्य प्रस्ंसकरण ईकाईयों की छमता को मीट्रीक टन के साथ लीटर में भी दर्शाई जाए। इस प्रावधान की सभी तरल पदार्थों के लिए आवश्यकता होगी जिसके कि व्यापक प्रभाव होंगे। इस पर यह निर्णय लिया गया कि इस मामले का विस्तृत अध्ययन किया जाए।

कार्यसूची मद संख्या. 19.8

राष्ट्रीय कोडेक्स समिति (एनसीसी) तथा अन्य विविध छाया समितियों की एनसीसी के अन्तर्गत स्थापना

प्राधिकरण ने इस मद पर चर्चा की तथा कुछ छोटे सम्पादकीय सुधारों के बाद, राष्ट्रीय कोडेक्स समिति (एनसीसी) तथा अन्य विविध छाया समितियों की एनसीसी के अन्तर्गत स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई।

कार्यसूची मद संख्या. 19.9-

दालों में अपवर्जन तत्वों की सीमा की समीक्षा

खाद्य प्राधिकरण ने इस मद पर चर्चा की तथा यह अनुसंशा की कि कच्ची दालों (मानव के लिए प्रत्यक्ष उपभोग के लिए नहीं) के लिए अलग से मानकों का निर्धारण किया जाए।

कार्यसूची मद संख्या. 19.10-

विविध खाद्य उत्पादों में माल्टीटोल तथा माल्टीटोल सीरप के उपयोग का अनुमोदन

खाद्य प्राधिकरण ने इस मद पर चर्चा की तथा वैज्ञानिक समितियों की डेयरी उत्पादों (एफसीएस 01.7) जैसे हलवा, लड्डु, बून्दी, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, स्वादिष्ट योगर्ट इत्यादि में माल्टीटोल (965(1) तथा माल्टीटोल सीरप (आईएनएस 965(2) तथा अनाज और स्टार्च आधारित मिठाईयों जैसे कस्टर्ड मिक्स, राईस पुडिंग इत्यादि में (एफसीएस0.65), जीएमपी स्तर पर, गर्म मिठाईयों जैसे कलाकन्द इत्यादि में तथा वाहक एवं भरावक के लिए कृत्रिम मीठे तत्व के रुप में प्रयोग को अनुमति दी गई। सुश्री मीतू कपूर के सुझावों के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इन मानकों को कोडेक्स के अनुरुप बनाया जाए।

ग.प्राधिकरण के सूचनार्थ कार्यसूची मद

कार्यसूची मद संख्या 19.11

केन्द्रिय सलाहकार समिति की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त

सदस्यों ने कार्यसूची के मद को नोट किया।

कार्यसूची मद संख्या 19.12

5 अक्टूबर, 2015 को फेडरल ऑफिस ऑव कन्जूमर प्रोटेक्शन एण्ड फूड सेफ्टी(बीवीएल), फेडरल इन्सटीटूयट ऑव रिस्क् असेसमेन्ट(बीएफआर), जर्मनी एवं खाद्य प्राधिकरण के मध्य खाद्य संरक्षा पर प्रयोजन के सयुंक्त बयान पर हस्ताक्षर हुए।

सदस्यों ने कार्यसूची के मद को नोट किया।

कार्यसूची मद संख्या 19.13

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के वैज्ञानिक पैनलों में से श्री सुनील बक्शी जी की सेवा समाप्त करना

समिति ने सूचना के लिए नोट किया।

कार्यसूची मद संख्या 19.14- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1. प्राधिकरण ने श्री थंगालुरा के द्वारा उठाऐ गए कार्यसूची मद पर विचार किया जो कि केन्द्र/राज्य सरकार की ऐजेन्सियों, उपभोक्ता संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालय जो कि खाद्य संरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हों को भारतीय खाद्य संरक्षा एंव मानक प्राधिकरण की ओर से जागरुकता, शिक्षा एवं संवाद (आईईसी) गतिविधियों को संचालित करने में ऐसी संस्थाओं का सहयोग लेने की योजना बनाने के संबंध में है।

2. इस पर यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी सदस्यों की योग्यता को 5 वर्ष के अनुभव के स्थान पर 3 वर्ष किया जाए तथा महानगरों के साथ-साथ इन गतिविधियों को राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में भी आयोजन किया हो।

घ.पूरक कार्यसूची मद
कार्यसूची मद संख्या 19.15
आयातित दालों के परीक्षण मानक

इस मद को कार्यसूची मद संख्या 19.9 के अनुसार विचार किया गया।

कार्यसूची मद संख्या 19.16
भाखासंमाप्रा, तमिलनाडू राज्य एवं कन्सर्ट ट्रस्ट के मध्य त्रिपक्षीय समझौता

सदस्यों ने इस मद को नोट किया

कार्यसूची मद संख्या 19.17
प्राधिकरण की सूचना के लिए विविध लंबित मानकों/अधिसूचनाओं की स्थिति
सदस्यों को लंबित मानकों/अधिसूचनाओं की स्थिति के बारे में बताया गया।
बैठक अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद देने के साथ ही समाप्त हुई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अध्यक्ष

अनुसूची

प्रतिभागियों की सूची

क. प्राधिकरण के सदस्यों की सूची

1. श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफएसएसएआई।
2. डा. रीता वशिष्ठ, अतिरिक्त सचिव, कानून और न्याय मंत्रालय।
3. श्री के.एल.शर्मा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
4. सुश्री अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।
5. डा. जी.एस.टोटेजा, निदेशक, रेगिस्तान चिकित्सा अनुसंधान केंद्र (डीएमआरसी),दिल्ली।
6. श्री सलीम ए वेलजी, आयुक्त खाद्यान्न सुरक्षा, गोवा।
7. श्री सुखविंदर सिंह, नामित अधिकारी, चंडीगढ़।
8. श्री वसुदेव के. थक्कर, अध्यक्ष, 'वी' केयर राइट एंड ड्यूटी एनजीओ, वडोदरा।
9. सुश्री श्रेया पाण्डेय, सीआईआई।
10. सुश्री मीतू कपूर, अखिल भारतीय खाद्य प्रोसेसर संघ।
11. श्री थंगलूरा, मिजोरम उपभोक्ता संघ, लालाट कक्ष।

ख. विशेष आमंत्रित

1. डा. मोहन लाल, प्रतिनिधि, डीएडीएफ, कृषि मंत्रालय और
2. श्री आर.के.गुप्ता, प्रतिनिधि, डीएडीएफ, कृषि मंत्रालय

ग. एफएसएसएआई के अधिकारी

1. श्री कुमार अनिल, सलाहकार(मानक)
2. श्री सुनील बक्शी, सलाहकार(विनियम/कोडेक्स)
3. डा. संध्या काबरा, निदेशक (क्यूए/विधि)
4. श्री बिमल दूबे, निदेशक(आयात)
5. श्री राकेश चन्द्र शर्मा, निदेशक(प्रवर्तन)
6. डा. ए.के. शर्मा, परामर्शदाता
7. डा. एस.सी.खुराना, परामर्शदाता
8. श्री पी.कार्तिकेयन, स.नि.(विनियम/कोडेक्स)
9. श्री एस.एस.मीणा, स.नि.(प्रबंधन)
10. श्री राजेश कुमार, वैज्ञानिक IV(I)
11. श्रीमती रेनम दबास, वैज्ञानिक IV(I)